

बाजारों में सजे बताशे, खांड-गड़ेली और पूजन सामग्री के स्टॉल

दीपावली की तैयारियों के बीच राजधानी के बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी शुरू हो गई है। दुकानों पर बताशे, खांड-गड़ेली और पूजन सामग्री सजी हुई है। लोग घरों में लक्ष्मी-गणेश पूजन की तैयारी के लिए जरूरी सामान खरीद रहे हैं।

चिड़चिड़े स्वभाव पर गुस्सा, मोटी रकम का लालच, इसलिए काट दिया था गला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः रिटायर्ड आईएएस अफसर राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में गिरफ्तार केयरटेकर वरुण को पुलिस ने पूछताछ के लिए सात दिन के रिमांड पर लिया है। शार्ट एनकाउंटर के दौरान वह पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। गुरुवार को उसको अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।

शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि राकेश अग्रवाल का स्वभाव कुछ तल्खी भरा था। जरा से गलती पर वह चिड़चिड़ा कर वरुण पर तंज कसने लगते थे। इससे वरुण के मन में नफरत भर गई थी। उधर उसे लालच था कि अग्रवाल के पास अलमारी में काफी रुपया रखा हो सकता है। इसी लालच में उसने ब्लेड से गला काटकर उनकी हत्या कर दी थी।

आईएएस अग्रवाल की हत्या का मामला सुलझाने के लिए बनी एसआइटी के प्रमुख एवं एएसपी उमेश तिवारी ने बताया कि बुजुर्ग अग्रवाल छोटी-छोटी बात पर गुस्सा जाहिर करने लगते थे। उनका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था। बार-बार ताने कसने के कारण वरुण के मन में उनके प्रति गुस्से का भाव रहने लगा था। साथ ही वरुण को लगता था कि



सात दिन के रिमांड पर वरुण

रिटायर्ड अफसर के पास काफी रुपये रखे मिल सकते हैं। इस वजह से उसने वारदात को अंजाम दे दिया था।

चोरी के इरादे से उसने कमरे में रखी अलमारी खंगाली थी। उसमें से उसे तीन-चार सौ रुपये और 23 डालर मिले थे। इनमें से 20 डालर सिंगापुर के थे। वरुण इसके पहले भी केयरटेकर की नौकरी के दौरान उत्तराखंड में एक 92 वर्ष के व्यक्ति का गला दबाकर हत्या की कोशिश कर चुका था। ग्वालियर में मोबाइल चोरी की वारदात भी की थी, लेकिन इन मामलों की शिकायत नहीं होने के कारण उसके हौसले बुलंद हो गए थे। बता दें कि रातीबड़ थानांतर्गत सूरज नगर निवासी रिटायर्ड अधिकारी 72 वर्षीय राकेश अग्रवाल का स्वास्थ्य खराब रहता था। देखरेख के लिए उन्होंने एक एजेंसी के माध्यम से 27 वर्षीय वरुण वाल्मिकी को केयरटेकर के रूप में रखा था। 29-30 सितंबर की रात वरुण ने राकेश अग्रवाल की हत्या कर दी थी। साथ अलमारी से नकदी, मोबाइल फोन चोरी कर वह रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां से केरला एक्सप्रेस में सवार होकर फरार हो गया था। वारदात के बाद रिटायर्ड अधिकारी का फोन आगरा में लावारिस बरामद हुआ था। उधर वरुण के परिवार के लोगों के अलावा लगभग सौ लोगों से पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पा रहा था। घटना के 35 दिन बाद मुखबिर तंत्र की मदद से मिली सटीक सूचना के बाद सोमवार को पुलिस ने आगरा मेंवरुण को उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब वह शराब खरीदने के लिए पैदल दुकान की तरफ जा रहा था।

गांजा तस्कर कर रहे थे ग्राहक का इंतजार, तभी पहुंच गई पुलिस

- दो थाना क्षेत्रों में छह किलो गांजा बरामद
- पिता-पुत्र सहित पांच गिरफ्तार



नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपालः पुलिस ने दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थ के तस्करों की धरपकड़ करते हुए उनके पास से लगभग छह किलो गांजा बरामद किया है। इनमें नजीराबाद में गांजा की खेप लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहे पिता-पुत्र को पुलिस ने खेप ठिकाने लगाने से पहले पकड़ लिया। उधर गौतम नगर थाना पुलिस ने तीन अलग-अलग स्थानों से नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर उनके पास से गांजा बरामद किया है।

नजीराबाद थाना प्रभारी सहवाज खान ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिली थी कि ग्राम गढ़ाकला में दो व्यक्ति मादक पदार्थ ठिकाने लगाने ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें हिरासत में ले लिया। तलाशी में उनके पास बैग से 1 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान गढ़ाकला निवासी 60 वर्षीय मांगीलाल योगी और उसके पुत्र राजू योगी के रूप में हुई।

गौतम नगर पुलिस ने चार किलो गांजा बरामद किया

गौतम नगर थाना प्रभारी महेंद्रसिंह ठाकुर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नारियलखेड़ा निवासी 55 वर्षीय मनोज संकत को घर के सामने गांजे की पुड़िया बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसके घर की तलाशी में 1 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसी तरह आरिफ नगर बस स्टैंड के पास स्कूटर की तलाशी लेने पर उसमें 1 किलो 900 ग्राम गांजा और 41 हजार रुपये नकद मिले। आरोपियों की पहचान कमल नगर करोंद निवासी 19 वर्षीय शिवा संकत और नरसिंहगढ़ निवासी 19 वर्षीय शिवम महेश्कर के रूप में हुई।

बस में सवार केरल के युवक से एक किलो चरस बरामद

दिल्ली से भोपाल होकर हैदराबाद जा रही थी बस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः गोविंदपुरा थाना पुलिस और एनसीबी की संयुक्त टीम ने बुधवार दोपहर दिल्ली से हैदराबाद जा रही बस में सफर कर रहे केरल के युवक के पास से एक किलो चरस बरामद की है। बेहतर गुणवत्ता वाले इस मादक पदार्थ की कीमत लगभग 35 लाख रुपये बताई जा रही है। युवक से पूछताछ की जा रही है।





गोविंदपुरा थाना प्रभारी अवधेशसिंह तोमर ने बताया कि बुधवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी कि दिल्ली से भोपाल होकर जाने वाली बस में एक यात्री के पास मादक पदार्थ हो सकता है। इस तरह के संकेत एनसीबी से भी मिले थे। इसके बाद थाने के सामने चैकिंग प्वाइंट लगा दिया। दोपहर लगभग 12:30 बजे संबंधित बस को रोककर संदिग्ध यात्रियों एवं उनके सामान की तलाशी ली गई। इस दौरान एक युवक के पास बैग में तौलिया में लपेट कर रखा मादक पदार्थ मिला। खोलकर देखने पर उसके पॉलीथिन में रखी एक किलो चरस बरामद हुई।

आरोपी की पहचान केरल निवासी 27 वर्षीय सिजान के रूप में हुई। पुलिस उससे इस बात का पता लगा रही है कि चरस वह कहां से लेकर आया था और यह माल किसे दिया जाना था।

मदद के नाम पर बुजुर्ग महिला से 99 हजार की ऑनलाइन ठगी

भोपाल नईदुनिया, प्रतिनिधिः शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी मीशो का कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च करना 76 साल की बुजुर्ग महिला को महंगा पड़ गया। शातिर साइबर ठग ने खुद को मीशो का कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर महिला को अपनी बातों में उलझाया और उनके बैंक खाते से 99 हजार 552 रुपये निकाल लिए।

शाहजहांनाबाद थाना पुलिस के मुताबिक ईदगाह हिल्स स्थित क्लासिक अपार्टमेंट निवासी 76 वर्षीय शशि मल्होत्रा ने 29 अक्टूबर को ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी मीशो से कुछ सामान ऑर्डर किया था। निर्धारित समय पर सामान की डिलीवरी नहीं होने पर उन्होंने गूगल पर मीशो का कस्टमर केयर नंबर तलाशा। महिला ने उस नंबर पर संपर्क किया तो दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने खुद को कंपनी का कस्टमर केयर कर्मचारी बताया। उसने महिला को कुछ निदेर्शों का पालन करने के लिए कहा। उसके बताए निदेर्शों का पालन करते ही महिला के बैंक खाते से कुल 99 हजार 552 रुपये निकल गए। महिला ने जब रुपये कटने की जानकारी दी तो अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रकम वापस आने का आश्वासन दिया।

वह अगले दिन सुबह तक महिला से संपर्क में रहा,लेकिन बाद में उसका मोबाइल नंबर बंद हो गया। खाते से निकली रकम वापस नहीं मिलने पर महिला को अपने साथ धोखाधड़ी होने का पता चला। इसके बाद उन्होंने शाहजहांनाबाद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नाना के घर रह रहे युवक ने फांसी लगाकर दी जान

भोपाल नईदुनिया, प्रतिनिधिः स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र स्थित खुशीपुरा में मंगलवार देर रात एक युवक ने अपने नाना के घर फांसी लगा ली। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने के कारण फिलहाल खुदकुशी की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

स्टेशन बजरिया थाना पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय राम पुत्र दिलीप तिवारी, ठाकुर आटा चक्की के पास खुशीपुरा में रहता था। वह बेरोजगार था और अपने नाना गिरजा शंकर अवस्थी के पास रहता था। गिरीजा शंकर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। घटना की सूचना उन्होंने ही पुलिस को दी थी।

ट्विशा मौत केसः रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को जमानत नहीं

- हाईकोर्ट ने कहा- फॉरेंसिक और डिजिटल रिपोर्ट का इंतजार
- जांच जारी रहने तक रिहाई संभव नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के ट्विशा शर्मा मौत मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में फॉरेंसिक और डिजिटल रिपोर्ट का इंतजार है तथा जांच अभी जारी है। ऐसे में उन्हें फिलहाल रिहा नहीं किया जा सकता।

गिरिबाला पर ट्विशा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी उनके बेटे समर्थ का साथ देने का आरोप है। सीबीआई ने भी जमानत का विरोध किया था। इससे पहले हाईकोर्ट भोपाल की निचली अदालत से मिली उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर चुका है। पिछली सुनवाई में गिरिबाला के वकील ने दलील दी थी कि मामले में मुख्य आरोप समर्थ के खिलाफ हैं और गिरिबाला की कोई भूमिका नहीं है। वहीं, सीबीआई ने उन्हें प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने मामले की समानांतर जांच की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। गिरिबाला को 15 मई को निचली अदालत से अग्रिम जमानत मिली थी। राज्य सरकार और ट्विशा के माता-पिता की चुनौती पर हाईकोर्ट ने 27 मई को यह राहत रद्द कर दी थी। ट्विशा और समर्थ की शादी 9 दिसंबर 2025 को दिल्ली में हुई। 12 मई 2026 को ससुराल में ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने शादी के बाद प्रताडना और विवादों के आरोप लगाए हैं। मामले की जांच जारी है।

बाथरूम में खुद को बंदकर लगा ली थी आग, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपालः शाहपुरा थाना क्षेत्र स्थित इंद्रा नगर मल्टी में 31 अक्टूबर की दोपहर में एक व्यक्ति ने अपने घर की बाथरूम में खुद को बंदकर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली थी। उसे उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मंगलवार रात उसकी मौत हो गई।

शाहपुरा थाना पुलिस के मुताबिक इंद्रा नगर मल्टी निवासी 44 वर्षीय संतोष परिहार टाइल्स लगाने का काम करता था। शराब पीने की लत के कारण उसका पत्नी से अक्सर विवाद हुआ करता था। 31 अक्टूबर को भी दोपहर के समय घर में कलह होने लगा, तो गुस्से में संतोष ने खुद को घर के बाथरूम में बंद कर लिया और पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली थी। किसी तरह आग बुझाकर परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान संतोष की मौत हो गई। उसके परिवार में माता, पिता, पत्नी के अलावा उसके तीन बच्चे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बदमाशों ने युवक से आईफोन झपटा

भोपाल नईदुनिया, प्रतिनिधिः मिसरोद थाना क्षेत्र स्थित इंडस टाउन में दोस्त के साथ घर लौट रहे युवक से बाइक सवार बदमाशों ने आईफोन झपट लिया। घटना सोमवार रात करीब आठ बजे के आसपास की है।

मंगलवार रात युवक की शिकायत पर मिसरोद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ झपटमारी का प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इंडस टाउन और 11 मील की तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। मिसरोद थाना पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय ऋषभ पुत्र रविन्द्र तिवारी नटराज कॉलोनी इंडस टाउन मिसरोद में रहता है। मूलत: मऊगंज निवासी ऋषभ निजी काम करता है। सोमवार रात लगभग आठ बजे वह इंडस टाउन के पास चाय कैफे से अपने दोस्त के साथ पैदल घर लौट रहा था।

इस दौरान अपने आईफोन पर किसी से बातचीत कर रहा था। कैफे से कुछ दूरी पर पहुंचते ही पीछे से बाइक सवार दो युवक आए। उनमें से पीछे बैठे युवक ने ऋषभ के हाथ से आईफोन झपट लिया। वारदात के बाद तेज रफ्तार से बाइक लेकर दोनों 11 मील की तरफ भाग निकले।

जमीन में छिपाकर रखे थे अवैध शराब के ड्रम, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के रतुआ पठार गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम को जमीन के अंदर शराब से भरे ड्रम दबे मिले। टीम ने ड्रमों को खोजकर बाहर निकाला और उनमें रखी शराब को मौके पर ही बहा दिया। बुधवार दोपहर हुई इस कार्रवाई में अवैध शराब और महुआ लाहन भी जब्त किया गया।

सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र कुमार धाकड़ ने बताया कि अवैध शराब के परिवहन और बिक्री के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कंट्रोलर वर्षा उइके के नेतृत्व में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुरेंद्र देवांगन और उप निरीक्षक चंदर सिंह ने रतुआ पठार और मनीखेड़ी पठार में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान विभिन्न स्थानों से 30 लीटर हाथ भट्टी शराब और 550 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया। रतुआ पठार गांव में एक व्यक्ति ने अवैध शराब से भरे ड्रम जमीन के अंदर छिपाकर रखे थे। इन्हें इस तरह ढंका गया था कि किसी की नजर न पड़े। इसके चलते आबकारी विभाग की टीम को शराब खोजने में मशक्कत करनी पड़ी। सागर और देवास में शराब पीने के बाद हुई घटनाओं के मद्देनजर आबकारी विभाग पूरे प्रदेश में अलर्ट है। भोपाल सहित अन्य स्थानों पर अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

अपनों का गला काटने के पहले नरेंद्र ने नशा मिलाकर पिलाई थी कोल्ड ड्रिंक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मां, पत्नी और दो बच्चों की निर्ममता से हत्या करने के बाद ट्रेन से कटकर खुदकुशी करने वाले नरेंद्र साहू ने वारदात को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया था। इसके लिए उसने नशे की 20 गोलियां खरीदी थीं। उसमें से 10 गोलियां उसने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर परिवार के लोगों को पिला दी थीं। शेष बची 10 गोलियां सूखी सेवनिया थाना पुलिस को नरेंद्र के शव की तलाशी के दौरान पेंट की जेब से मिली हैं।

छोला मंदिर थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी ने बताया कि बुधवार को पुलिस ने नरेंद्र के छोटे भाई महेंद्र, बहन मधु और बहनोई दीपक सिंह के प्रारंभिक बयान दर्ज किए गए है।

उन्होंने लेन देन को लेकर नरेंद्र को किसी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की जानकारी होने से मना किया। हालांकि यह बताया कि कुछ समय से नरेंद्र कुछ गुस्सैल स्वभाव का हो गया था। उसने इस तरह का कदम क्यों उठा लिया। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा। मामले की अभी जांच की जा रही है। उधर घटना के बाद पुलिस ने कमरे की तलाशी के दौरान कोल्ड ड्रिंक की बोतल और खाना बरामद कर जांच के लिए भेजा है। सोमवार सुबह हुई इस जघन्य वारदात के दौरान किसी तरह के संघर्ष के साक्ष्य नहीं मिले हैं।

पड़ोसियों ने भी किसी तरह की चीख-पुकार नहीं सुनी थी। इससे माना जा रहा है कि नरेंद्र ने हत्या के पहले नशा देकर परिवार को गहरी नींद में सुला दिया था। इस बात की पुष्टि उसके शव की तलाशी में मिली अल्पाजोलम टेबलेट से भी हो रही है।

नई व्यवस्था से कर प्रणाली सरल और पारदर्शी होगीः सृजनी मोहंती

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की ओर से एमपी नगर स्थित निसर्ग होटल में आयकर अधिनियम 2025 के नए प्रावधानों और संशोधनों पर परिचर्चा 'आयकर अधिनियम 2025-मंथन' आयोजित की गई। इसमें आयकर विभाग के अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ताओं और कर सलाहकारों ने भाग लिया। विदेशी संपत्तियों के खुलासे और अग्रिम कर के समय पर भुगतान पर चर्चा हुई।

एसोसिएशन अध्यक्ष मुनिन्द्र वैद्य ने व्यापारियों से अधिकारियों के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं रखने और नए प्रावधानों को समझने की अपील की। मुख्य अतिथि प्रधान आयकर आयुक्त सृजनी मोहंती ने कहा कि संशोधनों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है, ताकि ईमानदार



करदाताओं को सुविधा मिले। उन्होंने समय पर कर जमा करने को राष्ट्रहित में योगदान बताया।

विशिष्ट अतिथि संयुक्त आयकर आयुक्त सौरभ शर्मा ने नए प्रावधानों की जानकारी देते हुए व्यापारियों के साथ समन्वय से कार्य करने की बात कही। कार्यक्रम संयोजक आयकर अधिकारी आशीष मोदगिल ने कर संबंधी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए विभाग के खुले होने की जानकारी दी। आयकर इंस्पेक्टर प्रकाश यादव ने विदेशी संपत्ति खुलासा योजना 2026 के बारे में बताया। इसके तहत पात्र छोटे करदाता 31 दिसंबर 2026 तक विदेशी संपत्तियों का खुलासा कर सकते हैं। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने संशोधनों का स्वागत करते हुए छोटे व्यापारियों के लिए सरल दिशा-निर्देश और जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। कैटरिंग व्यवसाय के बिलिंग और ऑडिट नियमों पर अलग कार्यशाला आयोजित करने का सुझाव भी दिया गया। आभार प्रदर्शन एसोसिएशन सचिव प्रशांत काबरा ने किया।

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय, भोपाल (मध्य प्रदेश) श्रीमान् तरूणेन्द्र प्रताप सिंह जी के न्यायालय में ए-51, विजय नगर, लालघाटी, आवेदक शिवाय जैन पितालिया (आयु 11 वर्ष), निवासी भोपाल, मध्य प्रदेश 462001, द्वारा पिता एवं प्राकृतिक संरक्षक श्री अंकित पितालिया द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने और इस बाबत आदेश पारित करने हेतु एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13/प्रासंगिक प्रावधान के अंतर्गत बालक शिवाय जैन पितालिया (जन्म दिनांक: 22.10.2015, जन्म स्थान: अंकुर मेटरनिटी एंड नर्सिंग होम', भोपाल) का जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु आदेश पारित करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अत: इस सूचना के माध्यम से सर्वसाधारण और संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है कि यदि इस जन्म प्रमाण पत्र के बनाए जाने या प्रविष्टि दर्ज किए जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति, दावा या सुझाव हो. तो वे आगामी नियत दिनांक 11.12.2026 को समय 11:00 बजे माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

वैभव चौधरी, अधिवक्ता
पता- 237, जैन नगर लालघाटी, भोपाल म.प्र. मो.नं. 9827821008

3052

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार प्रियंक आनंद पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार आनंद द्वारा कुलदीप दिवाकर पुत्र बाबूलाल दिवाकर निवासी मकान नं. 44-45 गली नं. 1, द्वारका नगर कोच फैक्ट्री रोड़, हुजूर जिला भोपाल के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति एक किता भूखण्ड क्रमांक 53-54 द्वारका नगर छोला रोड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल नगर निगम सीमा के अन्दर वार्ड नं. 37 में स्थित है जिसका साईज 30×35=1050 वर्गफिट है, को क्रय करने का अनुबंध राशि 12,50,000/-(बारह लाख पचास हजार) रूपये एवं बयाना राशि 3,00,000/-(तीन लाख) रूपये अपनी पत्नी श्रीमती रचना आनंद के खाते का चेक क्रमांक 491923 के माध्यम से दिनांक 02.11.2026 को विक्रेता को प्रदान कर दिया गया, एवं शेष राशि रजिस्ट्री के समय अदा करेंगें। यदि इस सम्बंध में किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय आदि या किसी अन्य वारिस को कोई आपत्ति हो या उपरोक्त प्लाट/भूखण्ड कहीं रहन, बंधक, दान, गिरवी रखा हो अथवा कोई ऋण भार आदि बकाया हो, जमानत आदि में प्रयुक्त हो, हस्तांतरित या अंतरित हो तो यह इस सूचना प्रकाशन के सात दिवस के अन्दर मूल दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयाधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मेरा पक्षकार उपरोक्त संपत्ति के विक्रयपत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करने हेतु स्वतंत्र होगा।

KAUSHLESH PATHAK, Advocate
Office: Near Hanuman Mandir Chhola Road Bhopal Res.: H. No. 54, Shivnagar Colony, Ward 73, Bhopal Mob. 7223990066

3051

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

ओल्ड सुभाष नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भवन/फ्लैट क. 4/7 (भूतल) मण्डल द्वारा श्री सुखदेव सिंह आत्मज श्री प्रीतम सिंह जनरल पॉवर ऑफ अटार्नी श्री महावीर सिंह आत्मज स्व. श्री वरयाम सिंह के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 28/02/2001 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री सुखदेव सिंह द्वारा संपत्ति का पंजीकृत वसीयतनामा (अंतिम इच्छा पत्र) (बहू) श्रीमती जसपाल कौर पत्नी स्व. श्री महावीर सिंह (बहू) के नाम पर दिनांक 01/12/2005 को संपत्ति का नोटरीकृत वसीयतनामा पंजीकृत कराया गया है। श्री सुखदेव सिंह आत्मज श्री प्रीतम सिंह की दिनांक 14/06/2009 को मृत्यु होने के उपरांत उनकी (बहू) श्रीमती जसपाल कौर पत्नी स्व. श्री महावीर सिंह के द्वारा उक्त संपत्ति को अपने नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, संपत्ति का नोटरीकृत वसीयतनामा, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति श्रीमती जसपाल कौर पत्नी स्व. श्री महावीर सिंह के नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो ता 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

0

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

ऐशबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भूखण्ड/भवन क्रमांक ए-320 मण्डल द्वारा श्री ओंकार नाथ शर्मा आत्मज श्री राजकरन राम के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 06/09/1985 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। आवंटी द्वारा लीज नवीनीकरण दिनांक 6/10/2016 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवा ली गई है। श्री ओंकार नाथ शर्मा द्वारा उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 11/01/2019 को उप पंजीयक कार्यालय से निष्पादित कराकर श्री राम प्रकाश पाण्डेय आत्मज स्व. श्री ओमप्रकाश पाण्डेय को विक्रय कर दिया गया है। परन्तु क्रेता/विक्रेता द्वारा मण्डल से हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं कराई गई। अब संपत्ति के क्रेता श्री राम प्रकाश पाण्डेय द्वारा आवेदन पत्र, शपथ-पत्र (स्वयं का) एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए विक्रय विलेख दिनांक 11/01/2019 के आधार पर उक्त संपत्ति अपने नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। उनके द्वारा यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है कि भवन के मूल आवंटी श्री ओंकार नाथ शर्मा आत्मज श्री राजकरन राम एवं उनके परिवार का वर्तमान में कही पता नही चल रहा है। भविष्य में किसी भी वाद-विवाद हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होगें। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं विक्रय विलेख दिनांक 11/01/2019 के आधार पर उक्त संपत्ति श्री राम प्रकाश पाण्डेय आत्मज स्व. श्री ओमप्रकाश पाण्डेय के नाम पर हस्तान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी /या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

3050

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

न्यू सुभाष नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भवन क्र. ई.डब्ल्यू.एस.-II 27 मण्डल द्वारा श्री बद्रीनाथ चौहान आत्मज श्री भंवरलाल चौहान के नाम पर भाड़ाक्रय खरीद करार के आधार पर आवंटन आदेश क्र. 10613-10618 दिनांक 26/07/1980 को आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 16/10/1996 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री बद्रीनाथ चौहान द्वारा संपत्ति का पंजीकृत वसीयतनामा अपने पुत्र श्री धनराज सिंह चौहान आत्मज श्री बद्रीनाथ चौहान के नाम पर दिनांक 25/06/2007 को उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत कराया गया है। श्री बद्रीनाथ चौहान आत्मज श्री भंवरलाल चौहान (पिता जी) की दिनांक 02/10/2009 एवं श्रीमती सुमन चौहान पत्नी श्री बद्रीनाथ चौहान (माता जी) की दिनांक 01/07/1995 को मृत्यु होने के उपरांत उनके पुत्र श्री धनराज सिंह चौहान आत्मज स्व. श्री बद्रीनाथ चौहान के द्वारा उक्त संपत्ति को अपने नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति श्री धनराज सिंह चौहान आत्मज स्व. श्री बद्रीनाथ चौहान के नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो ता 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

3049